अपील सूचना अधिकार संख्या 34/2017 अनवानी स्वीटी उर्फ वीरपाल कौर, आजीवन निदेशक व सचिव, अनुपमा एज्यूकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट, 50 बी ब्लॉक, के.आर.स्कूल के सामने, श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

02-05-2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थीया स्वीटी उर्फ वीरपाल कौर उपस्थिति है। उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का प्रतिवेदन सं0 488 दिनांक 27.04.17 शामिल किया गया। अपीलार्थीया को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थीया का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 10.02.2017 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से कुल 7 बिन्दुओ की सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 08.03.17 के द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने से ईन्कार कर दिया है, जो उसे उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 488 दिनांक 27.04.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थीया का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 02.03.2017 को प्राप्त हुआ है जिसका जबाब उनके द्वारा पत्र सं0 220 दिनांक 08.03.17 से अपीलार्थीया को भिजवाया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर द्वारा पत्र सं0 220 दिनांक 08.03.17 से अपीलार्थीया को निम्नानुसार उत्तर भिजवाया गया हैः—

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आवेदन के सन्दर्भ में लेख है कि आपका पत्र दिनांक 02.03.17 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्राप्त हुआ, जिसमें आपने महिला सशक्तिकरण आत्मसम्मान के साथ जीने के अधिकार के तहत सलंग्न पृष्ठ में अंकित बिन्दु संख्या 01 से बिन्दु संख्या 07 तक की सूचना निदेशक, अनुपमा एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट के रूप में सूचना उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है।
>
> उक्त चाही गई सूचना के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 के अनुसार समस्त नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदत्त है। स्पष्ट है कि नागरिको के अतिरिक्त और कोई भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन नही कर सकता। केवल भारत का नागरिक ही सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
>
> अतः आपका पत्र खारिज किया जाता है। इस संबंध में आपको कोई उज्र हो तो प्रथम अपील सक्षम अपीलीय अधिकारी, श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को पत्र जारी होने के 30 दिवस में प्रस्तुत कर सकते है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थीया द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.03.17 के द्वारा निदेशक अनुपमा एज्यूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट की हैसियत से सूचनांए चाही है जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 के अनुसार भारत का नागरिक ही सूचना प्राप्त करने का हकदार है। इसलिए उक्त ट्रस्ट भारतीय नागरिक की श्रेणी में नही आता है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थीया को वांछित सूचनांए उपलब्ध न करवाने के संबंध में दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 08.03.17 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थीया की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर व अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

198-99
12-5-17

आदेश आज दिनांक 02.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.
(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर